दूरभाष :– 26861753

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद

3, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली – 110016

संख्याः–4–2 / 2019–हिंदी

दिनांक :–04.07.2019

विषयः– परिषद की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 25.06.2019 को संपन्न हुई 122वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदय,

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 122वीं बैठक दिनांक 25.06.2019 को अपराह्न 03:30 बजे श्री मोहन कुमार मिश्रा, सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्यवृत्त में दर्शाई गई मदों पर यथापेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कर अनुपालन रिपोर्ट शीघ्र भेजने का कष्ट करें।

भवदीया,

04/07/2019

(अमिता माथुर)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

संलग्न : उपर्युक्त ।

प्रति–

1. श्री मोहन कुमार मिश्रा, सचिव, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
2. श्री प्रमोद कुमार शर्मा उपनिदेशक (कार्या0), भारत सरकार, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय–1(दिल्ली), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ए–149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली–110023
3. संयुक्त निदेशक (राजभाषा) / सहायक निदेशक (राजभाषा) भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. सभी अधिकारी, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
5. सचिव के निजी सहायक, राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली ।

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 122वीं बैठक का कार्यवृत्त
(दिनांक 25.06.2019)

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 122वीं बैठक दिनांक 25.06.2019 को **अपराह्न 03.30 बजे** श्री मोहन कुमार मिश्रा, सचिव की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. श्री मोहन कुमार मिश्रा, सचिव राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2. श्री दीपक नागर, निदेशक (पी) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य
3. डॉ. पी. के. उपाध्याय, निदेशक (वित्त) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य
4. श्री अश्विनी शर्मा, उपनिदेशक (कार्मिक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य
5. श्री मनीष भाटिया, प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य
6. श्री मदन लाल, सलाहकार (लेखा परीक्षा) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य
7. श्री शौकत अली, सलाहकार (पी. एंड ए.) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य
8. श्रीमती अमिता माथुर, सहायक निदेशक(राजभाषा), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।	सदस्य–संयोजक

श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) भारत सरकार, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय–1 (दिल्ली), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, तथा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग से कोई भी अधिकारी/प्रतिनिधि अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहने से बैठक में भाग नही ले पाए।

बैठक के प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ ही बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की। श्रीमती अमिता माथुर सदस्य संयोजक ने समिति के सदस्यों को बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया।

बैठक की कार्यसूची पर समिति द्वारा गहन विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय/सुझाव दिए गए :–

कार्यसूची मद संख्या 1 : विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 121वीं बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन/पुष्टि।

समिति ने दिनांक 18.03.2019 को संपन्न 121वीं बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

कार्यसूची मद संख्या 2 : विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक (18.03.2019) में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का अवलोकन।

समिति द्वारा परिषद की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 121वीं बैठक में लिए गए निर्णयों/सुझावों पर संबंधित संस्थानों /परिषद के विभिन्न अनुभागों द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली गई। समिति द्वारा इन पर संतोष व्यक्त करते हुए कार्रवाई के लिए शेष बिंदुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने के संबंध में निम्न अनुशंसाएं की गईः–

I. चूंकि मुख्यालय में रिक्त पड़े हिंदी के पद पुनः सृजन/बहाली (रिवाइवल) की श्रेणी में चले गये है। अतः निकट भविष्य में मुख्यालय में बढ़ती हुई हिंदी अनुवाद कार्य की आवश्यकता को मददेनजर रखते हुए ऐसे अनुवाद कार्मिकों का पैनल बनाया जाए जिन्हे आसानी से आउटसोर्स कर सरकारी दरों पर निर्धारित समयावधि के भीतर अनुवाद कार्य पूरे कराए जा सकें।

कार्रवाई : 1. हिंदी अनुभाग
2. कार्मिक अनुभाग

II. "किसानों की आय दोगुनी करना" विषय पर विभिन्न राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं की रिपोर्ट का हिंदी रुपान्तरण तैयार करने के स्थान पर इन कार्यशालाओं में की गई सिफारिशों का अनुवाद करा लिया जाए।

कार्रवाई : 1. कार्यक्रम अनुभाग
2. हिंदी अनुभाग

III. परिषद मुख्यालय के पुस्तकालय को प्रोफेशनल ढ़ंग से विकसित करने के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में लाइब्रेरियन के पद का विज्ञापन दिया जाए। इस कार्य को समयबद्व तरीके से एक माह के भीतर पूरा किया जाए।

सेवानिवृत्त

कार्रवाई : 1. प्रशासन अनुभाग
2. कार्मिक अनुभाग

IV. चूंकि एनसीसीटी के नए सेवा उपनियम (सर्विस रुलस) को बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है तथा वर्तमान में यह प्रकरण नोटिफिकेशन किए जाने के लिए मंत्रालय के पास लंबित पड़ा है। परंतु निकट भविष्य में इनके हिंदी रुपांतरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इनका अनुवाद करा लिया जाए। इसी प्रकार वित्त उपनियमों का भी अनुवाद करा लिया जाए।

कार्रवाई : 1. कार्मिक अनुभाग
2. वित्त एवं लेखा अनुभाग
3. हिंदी अनुभाग

कार्यसूची मद संख्या 3 : परिषद मुख्यालय में हिंदी प्रयोग की स्थिति से संबंधित जनवरी–मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के तिमाही प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा–वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर विचार–विमर्श ।

जनवरी–मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के साथ किए गए मूल हिंदी पत्राचार का प्रतिशत विगत की तुलना में अधिक पाए जाने पर समिति ने संतोष व्यक्त किया तथा मूल हिंदी पत्राचार में निरंतर क्रमशः वृद्धि लाने के संबंध में प्रयासरत रहने के लिए समिति द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की गईं :–

i) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को सभी अनुभाग अधिकारियों द्वारा अपने स्टाफ को ई–मेल किया जाए तथा महत्वपूर्ण निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ii) मूल रुप से किए जाने वाले हिंदी पत्राचार में वृद्धि लाने के लिए सभी अनुभाग अधिकारी उनके अनुभाग द्वारा तिमाही विशेष में तीनों क्षेत्रों के संदर्भ में प्राप्त मूल हिंदी पत्राचार के प्रतिशत पर अपने स्टाफ के साथ चर्चा कर उसमे वृद्धि लाने के लिए अपने स्टाफ को प्रेरित करें तथा आवश्यकतानुसार सहायक निदेशक(राजभाषा) की सहायता लें।

iii) भारत सरकार, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में मूल हिंदी पत्राचार के संबंध में निर्धारित क्षेत्रवार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी अनुभाग अधिकारियों द्वारा उनके अनुभाग से 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों को अधिकाधिक मूल पत्र हिंदी में जारी किए जाने के प्रयास किए जाएं।

iv) मूल हिंदी पत्राचार में वृद्धि लाने के लिए अनुभाग द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सभी फार्म एवं मानक प्रपत्रों/मसौदों आदि को द्विभाषिक रूप में तैयार कराकर प्रयोग में लाया जाए।

v) हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रुप से हिंदी में दिया जाना जारी रखा जाए।

vi) 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने के प्रयास किए जाएं।

vii) सभी अनुभागों द्वारा ई–मेल से जारी पत्रों का भी रिकार्ड रखने के लिए अनुभाग अधिकारी द्वारा उनके अनुभाग को निदेश दिए जाएं तथा इसके विवरण अनुभागीय तिमाही प्रतिवेदन में अवश्य दिए जाएं।

viii) सभी अनुभागों द्वारा अनुभागीय तिमाही प्रतिवेदन में वास्तविक एवं तथ्य परक आंकडे दिए जाएं। इन आंकड़ों से संबंधित दस्तावेज भी तैयार रखे जाएं ताकि जब कभी आवश्यक हो तो इनका सत्यापन आसानी से कराया जा सके। इस हेतु बनाए गए रजिस्टरों/डायरी का भली प्रकार से रखरखाव किया जाए।

ix) फाइलों पर अधिकाधिक हिंदी टिप्पणी लिखना जारी रखा जाए।

x) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का निश्चित रुप से अनुपालन किया जाए। धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाले प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा–पत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रुप में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जारी किए जाएं। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाली अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भविष्य में धारा 3(3) के तहत जारी कुछ दस्तावेजों को अनुभागीय तिमाही प्रगति प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाए।

कार्रवाई : सभी अनुभाग/अनुभाग अधिकारी

कार्यसूची मद संख्या : 4 भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2019–20 के वार्षिक कार्यक्रम का अवलोकन।

समिति द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2019–20 का अवलोकन करते हुए इसमें निर्धारित विभिन्न कार्यबिंदुओं एवं उनके संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिषद मुख्यालय के सभी अनुभागों/सभी प्रबंध संस्थानों द्वारा सार्थक प्रयास किए जाने का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न कार्यबिंदुओं की समीक्षा संस्थान की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों में किए जाने की अनुशंसा भी की गई।

कार्रवाई : 1) वैमनीकॉम पुणे/क्षे.स./स.प्र. संस्थान (सभी)
2) मुख्यालय के सभी अनुभाग

कार्यसूची मद संख्या : 5 राष्ट्रीय संस्थान, पुणे/क्षे.स./स.प्र. संस्थानों में कार्यरत कार्मिकों के हिंदी ज्ञान की स्थिति का अवलोकन।

उक्त के संबंध में सदस्य संयोजक द्वारा दी गई जानकारी का समिति द्वारा अवलोकन किया गया क्षे.स.प्र. संस्थान बैंगलुरु तथा स.प्र. संस्थान इम्फाल द्वारा उनके संस्थान को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित कराए जाने का प्रस्ताव परिषद को भिजवाए जाने के संबंध में इन संस्थानों से दूरभाष पर संपर्क कर चर्चा करने का सुझाव दिया गया।

कार्रवाई : हिंदी अनुभाग

कार्यसूची मद संख्या : 6 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय।

इस मद पर चर्चा करते हुए संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के मद्देनजर निम्नलिखित अनुशंसाएं की गईः–

6.1 मुख्यालय में प्रयोग में लाई जा रही अथवा आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाई जाने वाली रबड़ की मुहरों, नामपट्टों, विजिटिंग कार्ड्स आदि को द्विभाषिक रूप में तैयार कराकर प्रयोग में लाया जाए।

कार्रवाई : प्रशासन अनुभाग

6.2 हिंदी प्रयोग में गति लाने के लिए रजिस्टरों/सेवा–पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं तथा इस संबंध में आवश्यकतानुसार मुहरें बनाकर प्रयोग में लाई जाएं, फाइल कवरों एवं रजिस्टरों पर विषय द्विभाषिक रूप में (हिंदी एवं अंग्रेजी में) लिखे जाएं।

कार्रवाई : सभी अनुभाग

6.3 सभी कार्यालयों/अनुभागों द्वारा वैबसाइट की द्विभाषिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा उसे भलीप्रकार से निरंतर अपडेट किया जाए।

कार्रवाई : सभी संस्थान/मुख्यालय के सभी अनुभाग

6.4 विज्ञापन दोनो भाषाओं में प्रकाशित किए जाएं।

कार्रवाई : सभी संस्थान/मुख्यालय के सभी अनुभाग